महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 7/2016/बी-1-2076/**दस-**2016-**एम-**39/2016

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक :** 12 **सितम्बर**, 2016

विषय : केन्द्रीय योजनाओं (सी.एस. / सी.ए.एस.पी.) को पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सियों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकरण ।

महोदय,

केन्द्र सरकार की कतिपय योजनाओं यथा - सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अटल मिशन फॉर रिज्यूवेनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफारमेंशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन तथा राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम आदि के अन्तर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रदेश में संबंधित विभागों द्वारा राज्य स्तर/जिला स्तर/खण्ड विकास स्तर/ग्राम्य स्तर पर इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी का गठन कर किया जा रहा है । भारत सरकार के निर्देशानुसार, ऐसी इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सीज जिनके माध्यम से केन्द्र सरकार की सी.एस./सी.ए.एस.पी. योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है, को (इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सीज) पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपके विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर/सेन्ट्रल असिस्टेन्स टू स्टेट प्लान (सी.एस./सी.ए.एस.पी.) से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही सभी इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सियों का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर पंजीकरण आगामी तीन माह की अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें । इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सियों के पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम राज्य स्तर की एजेन्सी, उसके बाद जिला स्तर की एजेन्सी, फिर ब्लाक स्तर एवं अन्त में ग्राम पंचायत स्तर की एजेन्सी का पंजीकरण किया जायेगा । इस हेतु प्रदेश में गठित स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (एस.पी.एम.यू.) द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पंजीकरण में सहयोग किया जायेगा तथा संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण आदि दिया जायेगा । पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया आदि हेतु जानकारी पी.एफ.एम.एस. की वेब साईट (http://pfms.nic.in) **से प्राप्त की जा सकती है ।**

भवदीय,

दीपक सिंघल
मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 7/2016/बी-1-2076(1)/**दस-**2016-**एम-**39/2016, **तद्दिनाँक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- **प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
2- **प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
3- **प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**
4- **प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
5- **प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
6- **प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
7- **प्रमुख सचिव / सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
8- **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
9- **श्री आलोक कुमार वर्मा, कन्ट्रोलर ऑफ एकाउण्ट्स (सी.बी.ई.सी.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ।**
10- **श्रीमती शीतल वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस. ।**
11- **समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
12- **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ।**

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।